

# कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर ।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य- 11/2024

दिनांक 08/01/2025

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,  
वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0 ।

अपने पत्र संख्या:वीजेड-सोशल मीडिया-(18)/2020/10720,दिनांक:जून 04,2020 व पत्र संख्या:41/6-पु-3/2020,दिनांक:04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो पुलिस विभाग एवं उसके अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है ।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में दिनांक 07.01.2025 की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

**01. स्वाट/सर्विलांस तथा थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल कराकर पास कराने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह के 04 नफर अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार ।**

अपराध एवम् अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 07.01.2025 को स्वाट/सर्विलांस तथा प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली गाजीपुर की संयुक्त टीम द्वारा भर्ती परीक्षाओं में नकल कराने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह के चार नफर अभियुक्तगण को दिनांक 06.01.2025 को राय कालोनी में किराये के मकान से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गयी है । पूछताछ से अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि हम लोग सार्वजनिक परीक्षाओं में परीक्षार्थियों को फर्जी तरीके से पास कराने में इलेक्ट्रानिक उपकरण , डिवाइस का प्रयोग करते हैं परीक्षार्थियों को पास कराने की अवधि में मूल अंकपत्र , ब्लैक चेक, ब्लैक स्टाम्प पेपर, आधार कार्ड ले लेते हैं फोटो व नाम परिवर्तित कर हम लोग फर्जी आधार कार्ड व किसी भी स्कूल का प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से कूटरचित मुहर के माध्यम से तैयार / प्रमाणित कर लेते हैं परीक्षार्थियों के पास करने के उपरान्त उनके प्रमाण पत्रों को पूर्व निर्धारित मोटी रकम कम से कम दस लाख रुपये लेने के बाद वापस दिया जाता है । परीक्षार्थी से मिले रुपयों को हम लोग आपस में बांटकर उपयोग कर लेते हैं । उक्त घटना के संबन्ध में अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 14/2025 धारा 61(2),319(2),318(4),338,336(3),340(2),112(2) बीएनएस व 6/10 उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1998 के तहत अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

## **गिरफ्तार अभियुक्तगण-**

1. सर्वजीत सिंह पुत्र उमाशंकर यादव निवासी हरिबल्लभपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर ।
2. श्रवण यादव पुत्र सत्यनारायण यादव निवासी मरदानपुर लक्ष्मन वाजिदपुर थाना बिरनो जनपद गाजीपुर ।
3. पंकज कुमार राय पुत्र अवधबिहारी राय निवासी सारंगपुर थाना कोचस जिला रोहतास सासाराम बिहार ।
4. श्रवण कुमार पुत्र रविन्द्र यादव निवासी बिहरा थाना बिरनो जनपद गाजीपुर ।

अभियुक्त श्रवण कुमार पुत्र रविन्द्र यादव का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 14/2025 धारा 61(2),319(2),318(4),338,336(3),340(2),112(2) बीएनएस व 6/10 उ0प्र0सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1998 थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर ।

2. मु0अ0सं0 06/2025 धारा 61(2),319(2), 318(4),338,336(3),340(2) बीएनएस व 6/10 उ0प्र0सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1998 थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ ।

### **बरामदगी:-**

03 अदद वाई फाई राउटर , सिम डिवाईस 10 अदद स्कैन कलर (नैनो सिम ) , सिम डिवाईस कागज मे 10 अदद (नैनो सिम ) , सिम डिवाईस 05 अदद टेप लगा हुआ (छोटा व बड़ा सिम), वाकी टाकी रंग काला -03 अदद , छोटा ब्लूटूथ सेल 19 अदद , कान की बग ब्लूटूथ छोटा 13 अदद , छोटा वाकी टाकी टेप लगा हुआ - 03 अदद, चार्जर वाकी टाकी रंग काला- 06 , सिम फ्रेम – 06 अदद ,कान से बग निकालने हेतु मैग्नेट - 01 अदद, मोबाईल चार्जर (नोकिया) – 04 अदद, HHMD- 01 अदद (सुपर स्कैनर- MD-3003B-1), पावर बैंक 01 अदद, चार्जर केबल सफेद 05 अदद, चार्जर केबल काला 04 अदद, चार्जर वाईफाई राउटर 01 अदद, मुहर पैड 01 अदद, फर्जी मुहर 10 अदद, 07 मोबाइल, परीक्षार्थियों के मूल शैक्षिक प्रमाण पत्र , ब्लैंक हस्ताक्षरित चेक, ब्लैंक हस्ताक्षरित स्टाम्प पेपर 1. रजनीश प्रताप पुत्र अवधेश कुमार 2. अमित यादव पुत्र अशोक यादव 3. अनिता यादव पुत्री राज कुमार यादव 4. मनीष कुमार पुत्र विक्रमाराम 5. मो0 सदरे आलम पुत्र मो0 जलालुद्दीन 6. कुसुम यादव पुत्री सत्य नारायण यादव 7. प्रिन्स कुमार पुत्र छोटेलाल राम 8. चन्दन सिंह यादव पुत्र राम अधार सिंह यादव 9. जय प्रकाश यादव पुत्र रामचरन यादव 10. सुषमा यादव पुत्री सुबच्चन यादव 11. धर्मेन्द्र यादव पुत्र दिनेश्वर यादव 12. विवेक कुमार दुबे पुत्र प्रहलाद दुबे 13. विजय कुमार सिंह पुत्र तहसीलदार सिंह 14. अभिषेक सिंह पुत्र अरविन्द सिंह 15. शिवम यादव पुत्र प्रभात कुमार यादव आदि का व ब्लैंक प्रमाण पत्र, कूटरचित 04 अदद आधार कार्ड आदि ।

### **02. थाना खानपुर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 07/25 धारा 305(क)/324(2)/317(2) BNS से सम्बन्धित**

#### **02 नफर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।**

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 07.01.2025 थाना खानपुर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर खास की सूचना पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 07/25 धारा 305(क)/324(2) BNS से सम्बन्धित ग्राम अनौनी में टुल्लू पम्प व मोबाईल की चोरी करने वाले अनौनी पुल के पास हैं। जिन्हें पुलिस बल की टीम द्वारा एकाएक दबिश देकर अनौनी पुल के पास से गिरफ्तार किया गया जिनके पास मौके से 01 अदद क्रम्टन टुल्लू पम्प व 01 अदद मोबाईल बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) BNS की बढ़ोत्तरी करते हुए अभियुक्तगण 1.मन्टू राजभर पुत्र मनोज राजभर निवासी ग्राम बरवां थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष 2. कुमार चन्द्र पुत्र रामजनम निवासी ग्राम जियापुर थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

#### **गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-**

- 1.मन्टू राजभर पुत्र मनोज राजभर निवासी ग्राम बरवां थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष
2. कुमार चन्द्र पुत्र रामजनम निवासी ग्राम जियापुर थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष

#### **बरामदगी**

01 अदद क्रम्टन टुल्लू पम्प

01 अदद मोबाईल ओपो रंग नीला

**03. मु0अ0सं0 493/2005 धारा 120बी, 302, 506 भादवि थाना मुहम्मदाबाद गाजीपुर एवं मु0अ0सं0 360/2004 धारा 302, 307 भादवि व 7 सीएलए एक्ट व 3(2)(5) एस-सी/एस-टी एक्ट थाना भाँवरकोल गाजीपुर में आजीवन कारावास से सजायाफ्ता अभियुक्त अंगद राय उर्फ झूल्लन राय की अंतर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की गई अवैध अचल सम्पत्ति के आदेश के विरुद्ध दाखिल की गई याचिका को मा0 न्यायालय द्वारा किया गया खारिज ।**

• जिलाधिकारी महोदया के कुर्की के आदेश को उचित ठहराते हुए बरकरार रखा गया। अवगत कराना है कि दिनांक 08.05.2023 एवं 29.05.2023 को धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त अंगद राय उर्फ झूल्लन राय की अवैध स्रोतों से अर्जित अचल बेनामी सम्पत्तियों को अंतर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट के तहत श्रीमान् जिलाधिकारी महोदया द्वारा कुर्क किया गया था। जिलाधिकारी महोदया के आदेश के खिलाफ धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त अंगद राय उर्फ झूल्लन राय की पत्नी सरिता राय द्वारा विशेष न्यायधीश गैंगस्टर कोर्ट अलख कुमार के अदालत में याचिका दायर की थी। मा0 न्यायालय द्वारा साक्ष्यों तथा दोनो पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद अंगद राय उर्फ झूल्लन राय की याचिका खारिज करते हुए जिलाधिकारी महोदया के आदेश को बहाल करते हुए कुर्की की कार्यवाही को उचित ठहराया।

#### **कुर्क की गयी सम्पत्तियों का विवरण-**

1. ग्राम डाफी वाराणसी में कुल 03 गाटा 0.0850 हे0 में से रकबा 4100.4 वर्ग फीट जिसकी कीमत लगभग 19961752/- रुपये (एक करोड़ निन्यानबे लाख इकसठ हजार सात सौ बावन रु0 मात्र)
2. ग्राम शेरपुर कला भाँवरकोल जनपद गाजीपुर मे पैतृक आबादी की भूमि पर निर्मित भवन कीमत लगभग 1774000/- रु0 (सत्रह लाख चौहत्तर हजार रु0 मात्र)
3. मौजा जगजीवनपुर तहसील मुहम्मदाबाद आराजी संख्या 32 में 1650 वर्ग फीट तथा इस पर अर्द्ध निर्मित भवन जिसकी कीमत लगभग 21626200/- रु0 ( दो करोड़ सोलह लाख छब्बीस हजार दो सौ रु0 मात्र )

#### **आपराधिक इतिहास-**

01. मु0अ0सं0 193/2001 धारा 394, 323, 504, 506, 379 भादवि
02. मु0अ0सं0 235/2002 धारा 3(1) गुण्डा अधिनियम
03. मु0अ0सं0 360/2004 धारा 302, 307 भादवि व 7 सीएलए एक्ट व 3(2)(5) एस-सी/एस-टी
04. मु0अ0सं0 246/2001 धारा 110 जी सीआरपीसी
05. मु0अ0सं0 424/2004 धारा 110 जी सीआरपीसी
06. मु0अ0सं0 456/2001 धारा 3(1) गुण्डा अधिनियम
07. मु0अ0सं0 437/2004 धारा 3(1) गुण्डा अधिनियम
08. मु0अ0सं0 336/2005 धारा 110 जी सीआरपीसी
09. मु0अ0सं0 288/2006 धारा 120 बी, 302 भादवि
10. मु0अ0सं0 482/2015 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर अधिनियम
11. मु0अ0सं0 984/08 धारा 147, 148, 149, 302, 307, 120बी, 504 भादवि व 7 सी0एल0ए0 एक्ट
12. मु0अ0सं0 107/2009 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर अधिनियम
13. मु0अ0सं0 277/2008 धारा 384 भादवि

14. एन0सी0आर0 नं0 56/2002 धारा 323, 504 भादवि
15. मु0अ0सं0 408/2006 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर अधिनियम
16. मु0अ0सं0 711/2005 धारा 120बी, 147, 148, 149, 302 भादवि व 7 सी0एल0ए0 एक्ट
17. मु0अ0सं0 1202/2002 धारा 323, 504, 506 भादवि व 3(1)10 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट
18. मु0अ0सं0 1300/2009 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर अधिनियम
19. मु0अ0सं0 510/2009 धारा 120बी, 143, 323, 452, 506 भादवि व 7 सी0एल0ए0 एक्ट
20. मु0अ0सं0 493/2005 धारा 120बी, 302, 506 भादवि
21. मु0अ0सं0 309/2015 धारा 302,506, 120बी, 216 भादवि व 3/25, 7/25 आर्म्स एक्ट व 3(2)5 एससीएसटी एक्ट
22. मु0अ0सं0 163/2023 धारा 386, 506 भादवि
23. मु0अ0सं0 153/2023 धारा 307, 504, 324, 506, 325, 120बी भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट
24. मु0अ0सं0 314/2023 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट
25. मु0अ0सं0 55/2023 धारा 30A बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद संशोधन अधि0 2022
26. मु0अ0सं0 111/2023 धारा 386, 120बी भादवि

पुलिस अधीक्षक  
गाजीपुर